Registered No. D.221

The Gazette of India

Extraordinary
Part II—Section 3—Sub-Section (i)

PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 165 New Delhi, Friday, August 9, 1968/SRAVANA 18, 1890

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd July, 1968

G.S.R. 1482 - In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Central Laws (Extension to Jammu and Kashmir) Act, 1968 (25 of 1968), the Central Government hereby appoints the 15th August, 1968, as the date on which the said Act shall come into force.

(No.F.1/13/67-K)
W.V. OAK, Jt.Secy.

रजिस्ट्री सं० डी० 221

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग - खंड 3 - उपखंड ()

प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 165 नई दिल्ली शुक्रवार, आस्त 9, 1968/श्रावण 18, 1890 ।

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

गृह मंत्रालय

अधिसूचना नई दिल्ली, 2 आस्त, 1968

जी० एस० आर० 1483 - केन्द्रीय विधि (जम्मू-काश्मीर पर विस्तारण) अधिनियम, 1968 (1968 का 25) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 1968 की

उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा ।

(सं० फा० TO 1|13|67-क०)

वा० वि० आदेश, संयुक्त सचिव ।

IndiaCode